न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–9 जयपुर महानगर, प्रथम

पीठासीन अधिकारी– विशाल भार्गव, जिला न्यायाधीश संवर्ग

दाण्डिक विविध सं.–142/2022 सी.आई.एस.सं.–1904/2022

बालीराम उर्फ जीवन पुत्र श्री जगदीश राम उम्र 22 साल निवासी गाव दशाव थाना व जिला अल्मोडा उत्तराखण्ड। हाल मकान नंबर 51, श्रीराम कॉलोनी सोडाला जयपुर।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, जयपुर महानगर, प्रथम।

––अप्रार्थी/राज्य

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–439 दं.प्र.सं.
प्र.सू.रि.सं.–113/2022 पुलिस थाना सोडाला, जयपुर
अपराध धारा–4381 भा.दं.सं.

उपस्थितः–
1–श्री भूपेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2–अपर लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांकः 01.10.2022

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से दं.प्र.सं. की धारा–439 के अंतर्गत हस्तगत जमानत आवेदन श्रीमान् सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो विधिवत् सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय में अंतरण से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान् अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करवाई गई। प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया।

2. जमानत प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं, कि मुस्तगीसा गुजंन शर्मा द्वारा ने दिनांक 26.3.2022 को पुलिस थाना सोडाला, जयपुर के भारसाधक अधिकारी के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि वह अपने दो मंजिल के घर में उपर के कमरे में रहती हैं। दिनांक 21.2.2022 को घुटने में चोट लगने के बाद नीचे एक कमरे में रहने लगी। उसके गहने व अन्य बहुमूल्य सामान एक अलमारी में उपर थे। दिनांक 22.3.2022 को अलमारी को चैक किया तो उसके गहने डायमण्ड का कडा, डायमण्ड का टोप, 2 सोने की चैन, डायमण्ड की चैन, एक सोने का पेण्डल व 2 सोने के कान के गायब थे। घर में 3–4 नौकर काम करते है.....आदि। इस पर प्र.सू.रि.सं.–113/2022 अपराध अंतर्गत धारा–380 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान में प्रार्थी/अभियुक्त की लिप्तता पाये जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया। प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानरत है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी को इस

प्रकरण में मिथ्या रूप से संलिप्त किया गया है जबकि उसका प्रश्नगत अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी से कोई अनुसंधान शेष नहीं है । प्रार्थी के विरूद्व आरोपित अपराध मृत्युदंण्ड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है तथा प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना हैं। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। प्रार्थी/अभियुक्त को यदि अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसके चरित्र पर विपरीत प्रभाव पडेगा। मौतबीर जमानत प्रस्तुत करने को तैयार हैं। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्ता को जमानत पर छोडे जाने की प्रार्थना की गई।

4. इसके विपरीत विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने की प्रार्थना की गई।

5. उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया, अनुसंधान पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर मुस्तगीसा के घर में कार्य करते हुए सोने के जैवरात डायमण्ड का कडा, डायमण्ड का टॉप, सोने की चैन आदि चोरी करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुलिस को भिन्न भिन्न समय पर धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचनाऍ प्रदत्त की गयी है, लेकिन सभी सूचनाऍ गलत रूप से दी गयी व प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से गलत सुचनाओं के आधार पर माल बरामद नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के इस स्तर पर अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं यह देखते हुए कि दिन–प्रतिदिन इस प्रकृति के अपराध निरन्तर रूप से बढते जा रहे हैं, प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर छोडा जाना न्यायसंगत नहीं पाया जाता है।

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त बालीराम उर्फ जीवन की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–439 दं.प्र.सं. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(विशाल भार्गव)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–9
जयपुर महानगर–प्रथम

7. आदेश आज दिनांक 01.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विशाल भार्गव)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–9
जयपुर महानगर–प्रथम